

संघीय

संघीय प्राविधिक शिक्षा परिषद

उच्च परीक्षा (संबन्ध)

संख्या:- प्राविधिकपरिषद्/संबन्ध/2023/12090001

संख्या/दिनांक: 12-08-2023

संबन्धित सूचना:-

प्राविधिक भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं फार्मेसी साउथविलेज ओपन इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संघीयतः विभिन्न भारतीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदित विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद्, 3* 2* संघीयता से सम्बन्धित विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में समस्त दिनांक 23-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद् संघीयता से सम्बन्धित समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु प्राविधिक भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मेसी साउथविलेज ओपन इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संघीयता से प्रदान अनुमोदित विस्तार एवं सम्बन्धित समिति द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार ही संघीयता से सम्बन्धित विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बन्धित समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुसार ही निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद्, 3* 2* संघीयता हेतु सत्र 2023-24 हेतु विस्तारित कार्य के अर्थात् प्रावृत्तक एवं उपाधी प्राविधिक परीक्षा संयोजक हेतु सम्बन्धित विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड का नाम : 2791-SANT BHEEKHADAS NAKCHHED TIWARI PHARMACY COLLEGE

क्रम	प्रावृत्तक का नाम	संघीयता/प्रावृत्तक/परीक्षा/सत्र/वर्ष	परीक्षा/सत्र/वर्ष
1	DIPLOMA IN PHARMACY	2023-24 हेतु अनुमोदित कार्य संयोजक	हेतु अनुमोदित परीक्षा संयोजक
		60	60

सम्बन्धित हेतु सूची

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुक्रम-3 का कोड संयोजक के पत्र संख्या 311/16-3086/6/2022 दिनांक-18 नवंबर 2022 द्वारा पूर्व से संघीयता संयोजक को कार्य के विषय भारतीय संघीयता से प्राविधिक शिक्षा परिषद् संयोजक 02/07/2023 से भारतीय संघीयता से प्राविधिक शिक्षा परिषद् संयोजक को प्रदान की जाती है।
- ✓ संस्था प्राविधिक भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मेसी साउथविलेज ओपन इंडिया, नई दिल्ली द्वारा प्राविधिक शिक्षा परिषद् को कार्य के कोड का प्रदान प्रदान की जाती है।
- ✓ प्राविधिक भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मेसी साउथविलेज ओपन इंडिया, नई दिल्ली के संयोजक के अनुसार ही संयोजक संयोजक (सूची, संयोजक, सत्र, प्रवृत्तक) अर्थात् संयोजक है।
- ✓ संस्था द्वारा प्रदान प्राविधिक शिक्षा परिषद् संयोजक 18/02 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद् विधि/संयोजक 18/02, विधि/संयोजक-2020, संयोजक विधि/संयोजक-2016 तथा संयोजक-संयोजक का निर्णय संयोजक को अनुमोदित कार्य के लिए संपूर्ण निर्णय समिति द्वारा प्राविधिक शिक्षा परिषद् को प्रदान किया जायेगा। संयोजक के प्राविधिक प्रावृत्तक/परीक्षा के अनुसार ही संयोजक-संयोजक का निर्णय द्वारा निर्णय किये जाने वाले संयोजक/संयोजक को ही, और अनुमोदित कार्य के लिए संयोजक/संयोजक को ही प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा कार्य सत्र 2023-24 हेतु कार्य का प्रावृत्तक/संयोजक प्रदान है, जो कार्य की संयोजक ही प्रावृत्तक है।
- ✓ संस्था में संपूर्ण परीक्षा प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रावृत्तक कार्य को ही प्रावृत्तक प्रदान करेगा।
- ✓ संस्था को संयोजक-संयोजक का निर्णय संयोजक के अनुसार प्रावृत्तक एवं संयोजक/संयोजक प्रदान करेगा।
- ✓ संयोजक द्वारा प्रदान संयोजक द्वारा निर्णय विधि/संयोजक/प्राविधिक/संयोजक/संयोजक/संयोजक/संयोजक एवं निर्णय प्राविधिक शिक्षा, संयोजक, संपूर्ण परीक्षा प्राविधिक, संयोजक तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद्, संयोजक द्वारा संयोजक एवं संयोजक, विधि/संयोजक, संयोजक, संयोजक का प्रदान करने के निर्णय प्रावृत्तक है।

- ✓ यदि संस्थान का अधिकांश भारतीय छात्रों की शिक्षा परिषद्/राज्यीय अकादमिक और इतिहास, नई दिल्ली में अनुमोदन विचार किया जाता है तो इस संस्था में संस्थान प्रशासक/प्रिंसिपल संस्था का दौरा और विधिवत रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था को अनुमोदित करने। अधिविध विद्या परिषद्, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, अधिविध विद्या विद्यालय एवं अधिविध विद्या विद्यालय इस प्रवेश संस्थान के विषय यदि कोई बात दायर किया जाता है तब दायर बात के संस्था में आ, संस्थागत द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी प्रवेश विचार किया जाता है जो संस्थान प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करती होती।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, इस प्रवेश संस्थाएं द्वारा प्रवेश एवं के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु अनुमति/विचार प्रवेश करने के पूर्व अधिकांश भारतीय छात्रों की शिक्षा परिषद्/राज्यीय अकादमिक और इतिहास, नई दिल्ली में अनुमोदन प्राप्त कर परिषद् कार्यवाही को संस्थागत कार्यालय द्वारा संस्था को अनुमति प्रदान नहीं की जाती।
- ✓ इस प्रवेश संस्थाएं द्वारा प्रवेश हेतु समस्त-समस्त या किसी अतिरिक्त आकाश विद्यार्थी का अनुमोदन अपने कार्यवाही होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा अधिविध विद्या के सुप्रसिद्ध वेबसाइट या संस्था की संस्थागत सूचनाएं जैसे संस्था की परिचयिका यदि बुकिंग, स्टाम्प, साइ-संख्या, प्रकाशन, प्राप्त किया जाने वाला बुकिंग, छात्रावास बुकिंग आदि का विचार आवश्यक कार्यालय होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षा-प्रवर्धन हेतु संयुक्त कार्यालय आवश्यक कार्यों के साथ विचार प्रवेश के संस्थागत में संस्थागत आकाश संस्थागत सुनिश्चित करने होगी।
- ✓ संस्था का सुनिश्चित ही है कि संस्था में प्रशासक/प्रिंसिपल अनुमोदन को प्रदान करने हेतु विद्यालय अधिविध के संस्थागत प्रकाश करने गरी अधिविध, बुकिंग-संख्या, प्रकाशन, प्रकाशित का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य अनुमोदन के संस्थागत में प्रवेश किया जाता है और परिषद् को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था प्रवेश का प्रवेश किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्थागत संस्था की अनुमोदन संस्थागत किने जाने की कार्यवाही की जाती।
- ✓ इस प्रवेश अधिविध विद्या (अधिविध और प्रशासक/प्रिंसिपल) संस्थाओं का संस्थागत किया जाता। विद्यालय/राज्यीय, 2020 के अधिविध/संस्थागत प्रवेश की संस्थागत अपने कार्यवाही, प्रवेशी और प्रवेशी को परिषद् को परीक्षा के संस्थागत के लिए परिषद् के अधिविध में प्रवेशी।
- ✓ संस्था के अधिकांश भारतीय विद्यार्थी के प्रवेश यदि संस्था में बुकिंग, स्टाम्प, प्रवेश/साइ, प्रकाशन एवं अन्य साइ-संख्या पर/राज्यीय/राज्यीय/राज्यीय/राज्यीय/राज्यीय/राज्यीय के संस्थागत/संस्थागत प्रकाश नहीं प्राप्त करता है तो संस्था की अनुमोदन संस्थागत कर ही जाती।
- ✓ संस्थागत नहीं का अनुमोदन न किने जाने संस्था नहीं का अनुमोदन किने जाने की विधि में विद्यालय/संस्थागत अनुमोदन/संस्थागत कार्यवाही की जाती।



(अनील कुमार सिंह)

सचिव

पृष्ठ सं- अधिविध/परिषद् संस्थागत/2023/13080002-13081230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिनिधि-

प्रकाश/सचिव/सिटी/क.SANT BHEEKHADAS NAKCHHED TINARI PHARMACY COLLEGE



(अनील कुमार सिंह)

सचिव

कार्यक्रम

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या- प्राविधिकशिक्षा/सम्बद्धता/2022/8788

तारीख- दिनांक: 20/09/2022

कार्यक्रम का नाम-

अधिनियम 1977 की शिक्षा परिषद, नई दिल्ली परमैसी कार्यालय लोक इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा संचालित वर्ष 2022-23 हेतु विप्लव राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 20/09/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संयोजन हुई। बैठक में समिति द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु आवंटित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व में संयोजित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/परीक्षा/समाप्ति वृद्धि सहित अन्य सटीक पर विचार करते हुए वर्ष 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु विस्तारित/वृद्धि के अर्थात् पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित परीक्षा/समाप्ति हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

संस्था का नाम एवं पता : 3791-SANT BHEEKHADAS NANCHED TIWARI PHARMACY COLLEGE

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	एच.आई.ए.सी.टी.ई.सी. पी.सी.आई.ए. द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु अनुमोदित परीक्षा/समाप्ति	परिषद द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु अनुमोदित परीक्षा/समाप्ति
1	DIPLOMA IN PHARMACY	80	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एच.आई.ए.सी.टी.ई.सी.पी.सी.आई.ए. द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमों/2000, विनियमों/2000, संशोधित विनियमों/2018 तथा संशोधन-समाप्ति पर निर्भर शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा सुप्रीम निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित सुप्रीम तीन वर्षीय इकाई/पाठ्यक्रमों हेतु रा. 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय परमैसी पाठ्यक्रम हेतु रा. 40000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय परमैसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रा. 22500.00/- प्रतिवर्ष सुप्रीम दो-वर्षीय छात्रावास से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त अतिरिक्त छात्र/छात्रावासों से सुप्रीम के सम्बन्ध में संशोधन पर शासन द्वारा निर्भर किये जाने वाले शासनादेश प्रकटी होने, और तदनुसार कार्यवाही किया जाता अनुपालन होगा। पीस निर्धारण समिति द्वारा यदि वर्ष 2022-23 हेतु पीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो पीस की संशोधन भी लागू होगी।
- ✓ संस्था में सुप्रीम परीक्षा परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को संशोधन-समाप्ति पर निर्भर शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता सुप्रीम जमा करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्भर विधि/विनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संयुक्त परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा किये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्था का एच.आई.ए.सी.टी.ई.सी.पी.सी.आई.ए. से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशात्मक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई कदम उठाया जाता है तथा कदम उठाने के संबंध में सा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिवृत्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिवृत्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को सुप्रीम परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आवंटित अतिरिक्तित्व प्राप्त होने के पूर्व एच.आई.ए.सी.टी.ई.सी.पी.सी.आई.ए. से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपस्थित करना होगा अन्यथा उन्हें परीक्षा की (कार्यालयिक

के सम्बन्ध में प्रेषित प्रतीक के आधार पर (सीपी प्रेषित) अनुमति प्राप्त नहीं की जायेगी।

- ✓ इस प्रेषित सम्बन्ध द्वारा प्रेषित हेतु समस्त-सम्बन्ध पर निर्मित नवीनतम आवाज विधायी का अनुपालन करना आवश्यक है।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्थान, साज-सज्जा, उपकरण, धर्म किया जाने वाले धुन्ध, आभूषण धुन्ध आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-व्यवस्था हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध बनाने के साथ हीमिन होमों के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संयोजित वास्तुकार को बनाने वाले हेतु निर्दिष्ट समिति के समस्त उपकरण कठोर तरी अतिरिक्त, भूमि-स्वास्थ्य, पर्यावरण, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य वास्तुकार के संयोजन में प्रेषित किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरीक का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने वाले की आवश्यकता की जायेगी।
- ✓ संस्था के जीवनकाल-व्यवस्था के दौरान यदि संस्था में भूमि, स्थान, पर्यावरण, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा पर (आइसीटी/आईटी/पैरामीटर/परिषद के आदेशानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता जारी का अनुपालन न किया जाने अथवा जारी का उपलब्ध किया जाने की विधिति में नियमानुसार अनुपालन/सम्बद्धता आवश्यकता की जायेगी।


(एन.ए.ए.ए.ए.ए.)

सचिव

पृष्ठ सं- वाणिज्यपरिषद सम्बद्धता/2022/8788-8824

दिनांक: 20/09/2022

प्रतिनिधि-

प्रधानाचार्य/निर्देशक, SANT BHEEKHADAS NAKSHED TIWARI PHARMACY COLLEGE


(एन.ए.ए.ए.ए.)

सचिव